



R - १०३-॥८७

माननीय राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

कानपुरज्य कानपुर धार
कानपुर धार अस्त्रालय
कानपुर धार
५.६.८७
प्रियों
159 १९.६.८७
19.6.87
विरुद्ध
विरुद्ध

जगदीश पिता गंगाजी पाटीदार, उम्र ३३ साल,
धंधा कृषि निवासी ग्राम दोड तहसील कुदाली
हालमुकाम मावर तहसील मावर ज़िला धार

----- प्राथी

विरुद्ध

- (१) गोकुल पिता रामाजी पाटीदार
- (२) रैवाराम पिता गोकुल पाटीदार
- (३) रत्नबाई विक्का गंगाजी कुलमी
- (४) देवदास पिता माजी कुलमी
- (५) राधेश्याम पिता गंगाजी कुलमी
- (६) गोविन्द पिता गंगाजी कुलमी
- (७) मोहन पिता गंगाजी कुलमी
- (८) जमुनाबाई पिता गंगाजी कुलमी
सभी निवासी ग्राम पीपरीमान, तहसील
मावर ज़िला धार (म०४०)
- (९) कांवेरीबाई पिता गंगाजी कुलमी, निवासी
पीपरीमान, हालमुकाम ग्राम बजन्दा
- (१०) रैवाबाई पिता गंगाजी कुलमी, निवासी
ग्राम पीपरीमान हालमुकाम जल्लेडा
- (११) मावजी पिता शिवाजी पाटीदार, नि०
पीपरीमान तहसील मावर ज़िला धार

१०२:

- (१२) सुमनबाई पिता गंगाजी जाति खुलमी,
निवासी पीपरीमान हाल जोतपुर
(१३) रुख्कु पिता मावजी जाति पाटीदार
(१४) गोमप्रकाश पिता सेमचन्द पाटीदार
निवासीगण पीपरीमान, तह ० ~~कुम्हार~~ ^{कुम्हार}
(१५) सेमचन्द पिता नारायण पाटीदार,
निवासी ग्राम पीपरीमान हालमुकाम
इंदौर (म०प्र०)

----- विपक्षीगण

Addressee's Name

वादः रास्ते बाबू।

किसी निगरानी धारा ५० म०प्र०म०रा०स० के तहत।

R.

महोदय,

श्री बी०बी०श्रीवास्तव अपर बायुका महोदय, इन्दौर संभाग हन्दौर
च्छारा निगरानी प्रक्षेपण क्रमांक २६।८५-८६ में पारित बादेश दिनांक
१२-५-८७ से असंतुष्ठ तथा दुर्बीत होकर प्राधी यह निगरानी बावेदन - पत्र
निम्न आधारों पर नियत सम्यावधि में सावर प्रस्तुत करता है :-

D. K. M.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 103-दो / 1987 [जगदीश / गोकुल] जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-1-2016	<p>आवेदकपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत पेशी दिनांक 27-7-2010 से लगातार अनुपस्थित रहे हैं। प्रकरण में आवेदकपक्ष की उपस्थिति हेतु आज दिनांक तक पेशियाँ नियत होती रही हैं व आवेदकपक्ष की उपस्थिति के लिये नोटिस भी जारी किये गये, परन्तु आवेदकपक्ष प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इस न्यायालय में प्रकरण वर्ष 1987 से लंबित चला आ रहा है। अतः प्रकरण आवेदकपक्ष की अरुचि के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p><i>(मनोज गोयल)</i> अध्यक्ष</p>	